न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – दिव्यराज सिंह चुण्डावत, (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
08 / 2022	01.11.2022	21.5.2025

उनवान

1. मदनलाल खटीक पिता नानूराम खटीक निवासी नेशनल सर्विस सेन्टर के पीछे, सागानेर कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)
2. सुरेश कुमार खटीक पिता नानूराम खटीक निवासी सांगानेर कॉलोनी, मारुति नेशनल सर्विस सेन्टर के पीछे, सांगानेर कॉलोनी, भीलवाडा (राज)

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. घीसी बाई पत्नी नानूराम जी खटीक निवासी सांगानेर कॉलोनी, भीलवाडा।
2. सीता देवी पत्नी शंकरलाल खटीक निवासी मारूति नेशनल सर्विस सेन्टर के पीछे, सांगानेर कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)
3. संतोष देवी पत्नी मुकेश कुमार खटीक निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)
4. मंजु देवी पत्नी अशोक कुमार खटीक निवासी चमन चौराहा, थाना रोड पर, बीगोद तह० माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)
5. अनुराधा पत्नी विनोद कुमार खटीक निवासी पंचमुखी मोक्ष धाम के पास, राधाकिशन मंदिर के पास भीलवाडा (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक, उपंजीयक कार्यालय भीलवाडा
8. ग्राम पंचायत हलेड पंचायत समिति सुवाणा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज.) जरिये ग्राम विकास अधिकारी / सरपंच

—— प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 2688 निर्णय दिनांक 05.08.2015 निर्णित रेस्पोडेन्ट संख्या 08 अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति–

1. अपीलार्थीगण अधिवक्ता श्री कैलाश राव उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी संख्या 01 से लगायत 05 की और से श्री गोपाल अजमेरा उपस्थित।
3. प्रत्यर्थीगण 06 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

–: निर्णय :–

अपीलार्थीगण ने अपनी अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड पटवार हल्का हलेड तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 113, 121 कुल किता 02 कुल रकबा 02–04 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी को अपीलाण्टगण के पिता ने दिनांक 10.04.1987 को वसीयत कर दी थी और अपीलाण्टगण के पिता का देहवासन दिनांक 26.02.2007 को हो गया। उक्त वसीयत दस्तावेज अपीलाण्टगण की माता जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपने कब्जे में छुपा दिया और नामान्तरकरण के वक्त पेश नहीं किया जिससे अपीलाण्टगण के साथ रेस्पोडेण्टगण संख्या 01 से लगायत 05 का भी नाम उक्त राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो गया। अपीलाण्टगण के पिता द्वारा निष्पादित वसीयत नामा के बेमुकाबले उक्त नामान्तरण शून्य एवं निष्प्रभावी है। क्योंकि अपीलाण्टगण के पिता की स्वअर्जित आराजी थी और उन्होने गवाहान के समक्ष प्रश्नचित मुद्रा से अपीलाण्टगण को उक्त आराजी वसीयत की गई है। अपीलाण्टगण को वसीयत हो जाने के पश्चात रेस्पोडेण्टगण संख्या 01 से लगायत 05 का कोई हक हिस्सा उक्त आराजी में निहित नही रहा और राजस्व ऐजेन्सी के समक्ष रेस्पोडेण्टगण संख्या 01 से लगायत 05 ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर विरास्तन नामान्तरकरण के जरिये अपना नाम भी राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवा लिया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है और उक्त विधि विरुद्ध नामान्तरकरण काबिलिय निरस्तनीय है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्टगण को हाल ही में हुई है। जानकारी होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाण्टगण मेहनत मजदूरी करने हेतु बाहर रहते है जिससे उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्टगण को नहीं थी अन्यथा अपीलाण्टगण तात्कालीन समय में ही अपील प्रस्तुत कर देते इसलिये दिनांक 05.08.2015 से आज दिवस तक के समय को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। जिसके लिये मियाद अधिनियम दफा 05 का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अलग से प्रस्तुत है।

रेस्पोडेण्टगण संख्या 01 से लगायत 05 उक्त आराजी को असामाजिक तत्वो को विक्रय करने पर आमादा है। जबकि उनका कोई विधिक अधिकार उक्त आराजी में नहीं है क्योंकि वर्ष 1987 में अपीलाण्टगण के पिता ने अपीलाण्टगण को वसीयत कर दी है और उक्त तथाकथित नामान्तरकरण वर्ष 2015 में निर्णित हुआ है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण काबिलिय निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 से लगायत 05 के नाम से किया गया नामान्तकरण संख्या 2688 दिनांक 05.08.2015 विधि विरूद्ध आदेश निरस्त किया जाकर उक्त आराजी वसीयतनामें के आधार पर अपीलान्टगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण का अपील प्रार्थनापत्र पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से लगायत 05 अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया है कि नानूराम पुत्र श्री हजारी खटीक का निधन दिनांक 26.02.2007 को हो गया तथा वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरण अपीलाण्टगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर विरासत के आधार पर प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस होने के कारण खोला गया, दिनांक 10.04.1987 की वसीयत का हवाला देते हुए अपीलाण्टगण ने नामान्तरण को चुनौती दी है, उक्त वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड है तथा असल वसीयतनामा भी प्रस्तुत नहीं किया हैं तथा वसीयतनामा पुरी तरह से फर्जी एवं कूटरचित है इस वसीयतनामे के जरिये अपीलाण्टगण को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं वसीयतनामा दिनांक 10.04.1987 का हैं जिसे अब तक नहीं बताये जाने का अपीलाण्टगण ने कोई सद्भाविक कारण नहीं बताया है, साथ ही नामान्तरण वर्ष 2015 मे खोला गया जिसकी अपील वर्ष 2022 मे 8 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की हैं तथा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई न्यायोचित कारण भी नहीं बताया हैं साथ ही निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय WLC 2006 (UC) page 283 के अनुसार कृषि भूमि के संबंध में वसीयतनामे की विधि मान्यता पर आक्षेप को सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का माना है ऐसी स्थिति में वसीयतनामे के आधार पर किसी प्रकार की कार्यवाही राजस्व न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं हैं इस कारण यह अपील क्षेत्राधिकारिता से बाहर है साथ ही गुणावगुण पर भी पोषणीय नही है तथा मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुये विलम्ब को क्षम्य करने की प्रार्थना की है न्याय की दृष्टि से अपील में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

अपीलार्थी की अपील का अध्ययन किया उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया ग्राम हलेड के नामान्तकरण संख्या 2688 निर्णय दिनांक 05.08.2015 ग्राम पंचायत हलेड ने नानूराम पिता हजारी खटीक के नाम की आराजी नम्बर 113, 121 के सम्बन्ध में नानूराम की मृत्यु पर विरासत नामान्तकरण अपीलार्थी मदनलाल, सुरेश कुमार, घीसी बाई, सीतादेवी, संतोषदेवी, मंजूदेवी, अनुराधा के नाम स्वीकृत किया जबकि ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 113 रकबा 01–06 बीघा भूमि प्रभुलाल, मदनलाल पिता उंकार खटीक सा0 भीलवाडा से क्रय होकर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30.09.1985 से नानूराम पिता हजारी खटीक निवासी सांगानेर कॉलोनी भीलवाडा से क्रयशुदा है एवं ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 121 रकबा 0–18 बीघा भूमि जगन्नाथ पिता प्रताप खटीक निवासी भीलवाडा से रजिस्टर्ड विक्रय नानुराम पिता हजारी खटीक निवासी सांगानेर कॉलोनी भीलवाडा से दिनांक 24.03.1984 से क्रयशुदा है। इस प्रकार ग्राम हलेड के आराजी नम्बर 113, 121 नानूराम पिता हजारी खटीक सा0 सांगानेर कॉलोनी भीलवाडा की स्वअर्जीत है। स्वअर्जीत आराजियात की वसीयतनामा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 10.04.1987 को सम्पादन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी ने नानूराम पिता हजारी खटीक सा0 कोटडी के द्वारा वसीयतनामा दिनांक 10.04.1987 के अनुसार नानूराम, सुरेश कुमार, के नाम पर नामान्तकरण कार्यवाही करने की प्रार्थना की है। अपीलार्थीगण को वसीयतनामा को प्रोबेट तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ कराना चाहिए। अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव्

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

–:: आदेश ::–

अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार की जाकर ग्राम हलेड के नामान्तकरण संख्या 2688 निर्णय दिनांक 05.08.2015 ग्राम पंचायत हलेड अपास्त किया जाता है तहसीलदार भीलवाडा को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि वसीयतनामा दिनांक 10.04.1987 के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण कार्यवाही करें। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जावें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा